न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर
पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 83 सन 2019
अनवान :–

1. हरिसिह पुत्र उदमीराम जाति मेधवाल निवासी नहराना तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. उदमीराम पुत्र किशनाराम जाति मेधवाल निवासी नहराना तहसील नोहर।
2. कुम्भाराम 3 मोहरसिह 4 मुलाराम पि0 उदमीराम जाति मेधवाल निवासी नहराना तहसील नोहर।
5. गंगादेवी पत्नी स्व देवीलाल जाति मेधवाल निवासी नहराना तहसील नोहर।
6. ओमप्रकाश 7 सिलोचना पुत्र/पुत्रीयान जाति मेधवाल निवासी नहरना तहसील नोहर।
8. सावित्री पुत्री उदमीराम जाति मेधवाल निवासी नहराना तहसील नोहर।
9 रायसिह 10 पृथ्वीराज पि.सावित्री पुत्री उदमीराम जाति मेधवाल निवासी नहराना तहसील नोहर ।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।
उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी
निर्णय दिनांक :– 05.02.2019

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा नहराना के खाता संख्या 9/7 के खसरा न0 49 की 1.1380हैक , खसरा न0 80 की 5.6770हैक , खसरा न0 125 /287 की 0.1770हैक , खसरा न0 126 की 2.0230हैक खसरा न0 283/1की 4. 6790हैक कुल 13.6940हैक भूमि पूर्व में वादी के दादा किशनाराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र उदमीराम पर औद हुई एवं उदमीराम का एक लडका देवीलाल एव लडकी सुपारी का देहान्त हो चुका है विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 1 के रोही मौजा नहराना के खाता सख्या 8/7 की कुल 13.6940हैक भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 8 वादी की बहन है प्रतिवादी संख्या 9 ,10 वादी की बहन के पुत्र है तथा प्रतिवादी संख्या 5 व 7 प्रतिवादी संख्या 6 की की माता व बहन है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग कर दिया है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 ,6 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10 को तलब किया गया तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 1 जो

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वादी का पिता है के नाम से दर्ज हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 5, 7,9,10 जो वादी की बहने/माता है ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने भाई/पिता के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4, 6 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है अर्थात विरासतन से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है इसलिये पैतृक सम्पति है हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 का बराबर का हक हिस्सा तथा वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 5, 7, 9, 10 जो वादी की बहने है ने अपने हक हिस्स की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 5, 7, 9, 10 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि में उसने अपने हकों का त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 , 6 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है।

इसप्रकार वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 ने स्वीकार करने के कारण काबिल डिक्री है किन्तु प्रतिवादी संख्या 5, 7, 9, 10 ने अपने हकों का त्याग किया गया है इसलिये राज्यहकों की सुरक्षा हेतु स्टाम्प डयूटी कायम की जानी उचित है ।

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा नहराना के खाता संख्या 8/7 की कुल 13.6940हैक भूमि में वादी अकेला 1/5 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 1/5 हिस्सा ,प्रतिवादी संख्या 3 अकेला 1/5 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 4 अकेला 1/5 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 5 ,6 बहिब 1/5 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 05.02.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official